न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–42/2017/भीलवाड़ा (2017/00031)

1. अम्बालाल पुत्र जगु गुर्जर,
2. जेतु पुत्री जगु गुर्जर,
3. मु0 केसर पुत्री जगु गुर्जर,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी लाठियाखेड़ी, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. भैरा पुत्र गोपी गुर्जर,
2. छोगा पुत्र गोपी गुर्जर,
3. हेमराज पुत्र गोपी गुर्जर,
4. किशन पुत्र गोपी गुर्जर,
5. मदन पुत्र गोपी गुर्जर,
6. मु0 सन्तोक पुत्री गोपी गुर्जर,
7. मु0 सायरी बेवा गोपी गुर्जर,
8. नाथू पुत्र उदा गुर्जर,
9. गुलाब पुत्र उदा गुर्जर,
10. भैरूलाल पुत्र जगु गुर्जर,
    समस्त जाति गुर्जर, नि0 लाठियाखेड़ी, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 8.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 5/2015.

उपस्थितः–

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 9.
3. रेस्पो0 संख्या 10 व 11 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः- 11.1.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.7.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 के तहत अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 10 व 11 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाठियाखेड़ी, पटवार हल्का गलवा, तहसील रायपुर के बैरूण हल्का आबादी में अपीलांट्स के पूर्वज उदा पुत्र गंगाराम गुर्जर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक आराजी संख्या 73 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रिकार्ड थी । इसी प्रकार ग्राम लाठियाखेड़ी में रेस्पो0 भैरा पुत्र गोपी गुर्जर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी नंबर 74/1 रकबा 2 बीघा दर्ज रिकार्ड थी । उक्त भूमि भेरा को आवंटन हुई थी जो आराजी संख्या 73 के उत्तरी दिशा में स्थित थी । इसी प्रकार अधी0न्याया0 में विपक्षी रेस्पो0/अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पो0 संख्या 10 की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की साबिक आराजी संख्या 74/2 साबिक नक्शे में आवंटन होने से तरमीम नहीं की गई जबकि साबिक नक्शे के अनुरूप दोनों काबिज है । ग्राम लाठियाखेड़ी के नवीन भू-प्रबंध में साबिक आराजी संख्या 73 के नवीन नंबर 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 कुल किता 10 कुल रकबा 1.98 है0 व साबिक आराजी संख्या 74/1 रकबा 2 बीघा के नवीन नंबर 145 रकबा 0.43 है0 कायम हुए तथा अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 10 की साबिक आराजी संख्या 74/2 के नवीन नंबर 140, 141, 142, 143, 144 कुल किता 5 कुल रकबा 1.22 है0 कायम किये गये । भू-प्रबंध अधिकारी एवं कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में फेरबदल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होते हुए भी उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा तरमीम नहीं करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 की नवीन आराजी संख्या 145 के नवीन खसरा को छोटा करते हुए अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 10 की आराजियात में मिला दिया तथा अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 10 नवीन आराजी संख्या 141, 144, 143 में दर्ज डोरी को उनके नाम पर दर्ज कर दिया जबकि साबिक नक्शे में उक्त डोरी रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 की आराजियात में है तथा रेस्पो0 की नवीन आराजी संख्या 146 लगायत 155 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुरूप तरमीम नहीं किया गया है जबकि प्रार्थी/रेस्पो0

साबिक नक्शे के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । अतः रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 की साबिक आराजियात को साबिक नक्शे के अनुरूप ही वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 8.7.2016 को रेस्पो0 संख्या 10 से राजीनामा अनुसार निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम लाठियाखेड़ी में साबिक नक्शा अनुसार नवीन नक्शा तरमीम करने तथा आराजी नंबर 141 में से 0.02 है0, आराजी नंबर 143 में से 0.02 है0, आराजी नंबर 144 में से 0.08 है0 कुल रकबा 0.12 है0 आराजी रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज करने के तथा आराजी संख्या 145 में से 0.12 है0 आराजी बिलानाम दर्ज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 140, 141, 142 143 व 144 के रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार अपीलांट्स है जिसके विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व कानूनन अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 ने अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था । उक्त प्रावधानों के तहत मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है ना कि किसी खातेदार की भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि कम की जाकर किसी अन्य के खाते में दर्ज की जा सकती है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स के खाते में से आंशिक रकबा कम करते हुए रेस्पो0 के खाते में उक्त आंशिक रकबे को दर्ज करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो कि धारा 136 में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत है। विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 10, जो कि अपीलांट्स के साथ प्रश्नगत आराजी में सहखातेदार है, के द्वारा रेस्पो0 से साजिश कर तथाकथित राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो अपीलांट्स के हक व अधिकारों के प्रति शून्य था एवं रेस्पो0 संख्या 10 को अपीलांट्स की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी बाबत् राजीनामा करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 के प्रावधानों के विपरीत अपीलांट्स के खाते में भूमि कम कर रेस्पो0 के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान

वकील अपीलांट्स ने यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को अपीलांट्स को बिना सूचना दिये कैम्प में रखकर, रेस्पो0 संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार निर्णित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को कैम्प में रखने के संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया तथा अपीलांट्स की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलांट्स को जानकारी नहीं थी । अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 के निर्णय दिनांक 12.11.2016 की पालना हेतु जाने पर सर्वप्रथम दिनांक 1.3.2017 को तहसील कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई । उक्त जानकारी उपरांत अपीलांट्स द्वारा निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया व दिनांक 16.3.2017 को निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अपीलांट्स ने अभिभाषक से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे। ।

5- विद्वान वकील रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 9 ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट्स को अधी0न्याया0 में नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अपीलांट्स को कैम्प के नोटिस भी जारी किये गये थे तथा उक्त कैम्प में रेस्पो0 संख्या 10 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष भू-अभिलेख निरीक्षक मोखुन्दा द्वारा दिनांक 8.7.2016 को मौका रिपोर्ट पेश की गई है तथा उक्त रिपोर्ट अनुसार गत आराजी खसरा नंबर 74/1 रकबा 2 बीघा हाल आराजी नंबर 145 रकबा 0.43 है0 भैरा पिता गोपी गुर्जर के नाम चली आ रही है । भू-प्रबंध के दौरान हाल आराजी नंबर 145 के नक्शे को गत नक्शे के मुकाबले गलत बना दिया गया जिसकी जांच गत नक्शे के मुकाबले मौके पर की गई तो जाहिर आया कि गत नक्शे अनुसार 0.12 है0 रकबा अन्य विपक्षी भैरूलाल पिता जगु की आराजी संख्या 141 रकबा 0.19 है0, में से 0.02 है0, आराजी संख्या 143 रकबा 0.02 है0 संपूर्ण, आराजी संख्या 144 रकबा 0.32 है0 में से 0.08 है0 कुल 0.12 है0 रकबा दर्ज कर दिया गया जिसको पुनः गत नक्शे अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के खाते में दर्ज किया जाना उचित होने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स के खाते से उक्त रकबा कम कर रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के खाते में दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । भू-प्रबंध विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के इंद्राज/रकबे में परिवर्तन का अधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये है बल्कि साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में इंद्राज किये जाने के

आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व भू0अभिलेख निरीक्षक मोकुन्दा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है । भू0अभिलेख निरीक्षक, मोकुन्दा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 8.7.2016 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि ''भू-प्रबंध के दौरान हाल आराजी नंबर 145 के नक्शे को गत नक्शे के मुकाबले गलत बना दिया है जिसकी जांच गत नक्शे के मुकाबले मौके पर नापकर किये जाने पर जाहिर आया कि गत नक्शे अनुसार 0.12 है0 रकबा अन्य विपक्षी भैरूलाल पि0 जगु वगैरह की आराजियात आराजी संख्या 141 रकबा 0.19 है0 में से 0.02 है0, 143 रकबा 0.02 है0 संपूर्ण, आराजी खसरा संख्या 144 रकबा 0.32 है0 में से 0.08 है में से कुल 0.12 है0 रकबा दर्ज कर दिया गया जिसको पुनः गत नक्शे अनुसार प्रार्थी (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 9) के खाते में दर्ज किया जाना उचित है एवं प्रार्थी की आरजी संख्या 145 में से 0.12 है0 रकबा कम होगा तथा यह 0.12 रकबा बिलानाम सरकार होगा।'' भू-अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट से रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के कथनों की पुष्टि होने से अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जहां तक अपीलांट्स का यह कथन कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा में कार्यवाही की है, किया गया कथन उचित नहीं है क्योंकि अधी0न्याया0 में अपीलांट्स को नोटिस की तामील हो चुकी थी तथा रेस्पो0 संख्या 10 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के समर्थन में राजीनामा भी प्रस्तुत किया था । अधी0न्याया0 ने भू0अभिलेख निरीक्षक मोकुन्दा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.7.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 42/2017 (2017/00031) बउनवानी अम्बालाल बनाम भैरा व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.7.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 11.1.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर